125

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प रीवा, (म.प्र.)

R 5121-दो/15

475
20-10-15

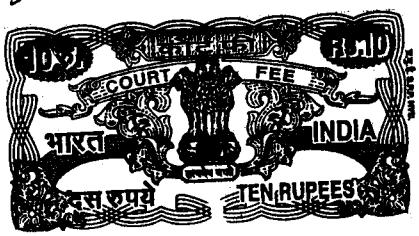

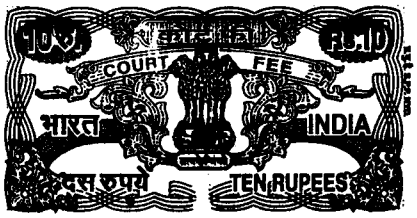

1. विनोद कुमार पाण्डेय तनय समयलाल पाण्डेय, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम टटिहरा, तहसील हनुमना, जिला रीवा, (म.प्र.)

2. उमेश कुमार तनय स्व. समयलाल पाण्डेय, उम्र 16 वर्ष, जरिये वली मां धर्मवती बेवा पत्नी समयलाल, निवासी ग्राम टटिहरा, तह. हनुमना, जिला रीवा (म.प्र.)

3. श्रीमती धर्मवती बेवा पत्नी समयलाल, उम्र 55 वर्ष, निवासी ग्राम टटिहरा, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म.प्र.)

4. अशोक कुमार पाण्डेय तनय जयकरण पाण्डेय, उम्र 33 वर्ष, निवासी ग्राम टटिहरा, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म.प्र.)

5. सूर्यवती बेवा पत्नी जयकरण पाण्डेय, उम्र 60 वर्ष, निवासी ग्राम टटिहरा, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म.प्र.)

.... निगरानीकर्तागण / आवेदकगण

बनाम

1. रामबली पाण्डेय तनय रामधार पाण्डेय, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम टटिहरा, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म.प्र.)

2. सुरेन्द्र प्रसाद तनय रामाधार, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम टटिहरा, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म.प्र.)

.... रेस्पान्डेन्टगण / अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्र. 147 / अपील / 2007–08 आदेश

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5121–दो/2015 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–5–2017	उभय पक्ष अभिभाषकों को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग के प्रकरण कमांक 147/अपील/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 09–10–15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में संहिता की धारा 115–116 के तहत आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 27–1–04 को आदेश त्रुटि सुधार का आदेश दिया, जिसे अपर आयुक्त ने इस आधार पर उचित माना है कि जब प्रश्नाधीन भूमि रामसुन्दर लालमणि एवं रामरसीले ने कभी विकी नहीं किया जो उनके हिस्से की भूमि पर आवेदकगण के पक्ष में नामांतरण कैसे हो सकता है। यदि आवेदकगण उक्त नामांतरण पंजी से परिवंदित है तो सिविल न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। इसी आधार पर तहसीलदार द्वारा त्रुटि सुधार के आदेश को उचित माना है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस. एस. अली) सदस्य	